फर्द अहकाम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

पंजाब नेशनल बैंक, मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सब सिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड, उदयपुर मे स्थित व कार्यरत है।

– प्रार्थी

बनाम

(1) मैसर्स सांई कृपा एग्रो प्रोसेसर्स, 441, धरतीधान फैक्ट्री के पास दक्षिण सुंदरवास, उदयपुर

– ऋणी

एवं

फतेहनगर रोड़, तिलम संग फैक्ट्री के पास, लदाना, तहसील मावली,उदयपुर

(2) सुश्री अंजलि दधीच पुत्री श्री प्रीतम कुमार दधीच, आवासीय मकान आराजी नं. 273, सोफिया पब्लिक स्कूल, शांति कॉलोनी, कांकरोली, राजसमंद (राजस्थान)

– प्रोपराईटर

(3) श्रीमती ज्योत्सना दधीच पत्नी श्री प्रीतम कुमार दधीच, आवासीय मकान आराजी नं. 273, सोफिया पब्लिक स्कूल शांति कॉलोनी, कांकरोली, राजसमंद (राजस्थान)

– जमानतदार

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 44 / 2022**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 22.03.2022 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, उदयपुर ने दिनांक 14.02.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से जरिये खाता ऋण करार संख्या 0458008700007243, के द्वारा 300.00 लाख रूपये, ऋण करार संख्या 045800IB00290832, के द्वारा 300.00 लाख रूपये ऋण करार संख्या 045800IL00000123, 87.00 एवं ऋण करार संख्या 045800CF00001445, 10.78 लाख रूपये, कुल रूपये 697.78 लाख का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल संपत्तियां – (1) आवासीय मकान जो आराजी नं. 273,शांति कॉलोनी, कांकरोली, राजसमंद (2) परिवर्तित प्लॉट जो खसरा नं. 891 / 3 एवं 891 / 5 जो गॉव भावा, राजसमंद–भीलवाड़ा हाईवे, सोफिया पब्लिक स्कूल, तहसील एवं जिला राजसमंद को प्रार्थी बैंक के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी बैंक के उक्त	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

ऋण का भुगतान नहीं कर सकें और दिनांक 31.03.2021 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणी के ऋण खाता संख्या 0458008700007243 में बकाया रूपये 3,02,57,904.44, अक्षरे तीन करोड दो लाख सतावन हजार नौ सौ चार एवं चवालिस पैसे, ऋण खाता संख्या 045800IB00290832 में बकाया रूपये 2,95,71,418.99 अक्षरे दो करोड पचानवे लाख इकहतर हजार चार सौ अठारह एवं पैसे निन्यानवें मात्र, 045800IL00000123 में बकाया रूपये 88,07,483.00 अक्षरे अठासी लाख सात हजार चार सौ तिरासी मात्र एवं ऋण खाता संख्या 045800CF00001445 में बकाया रूपये 11,02,862.98, ग्यारह लाख दो हजार आठ सौ बासठ एवं पैसे अठानवे मात्र, कुल रूपये 6,97,39,669.41 अक्षरे छह करोड सतानवे लाख उनतालीस हजार छह सौ उनहतर एवं पैसे इकतालिस मात्र बकाया रकम व ब्याज दिनांक 31.03.2021 तक शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 30.04.2021 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये जो कि उन्हें प्राप्त हो गये । परंतु धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्तियां रहन रखी है। उसका प्रार्थी बैंक में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है:-

(अ) श्रीमती ज्योत्सना दधीच पत्नी श्री प्रीतम कुमार दधीच के नाम आवासीय मकान जो आराजी नं. 273, शांति कॉलोनी, कांकरोली, राजसमंद राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5034.96 वर्गफीट है। सीमाएं-पूर्वः प्रस्तावित रोड़ एवं दिनेश कुमार की भूमि, पश्चिमः संयुक्त स्वामित्व की भूमि कुआं, उत्तरः रोड़, दक्षिणः आराजी नं. 271 की भूमि।

(ब) सुश्री अंजलि दधीच पुत्री श्री प्रीतम कुमार दधीच के नाम परिवर्तित प्लॉट जो खसरा नं. 891/3 एवं 891/5 जो गांव भावा, राजसमंद-भीलवाड़ा हाईवे, सोफिया पब्लिक स्कूल, तहसील एवं जिला राजसमंद, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 52094 वर्गफीट है। सीमाएँ- पूर्वः रोड़ 30 फीट पश्चिमः मौजूदा इमारत, उत्तरः आराजी नं. 891/6 एवं आराजी नं. 891/4 की भूमि, दक्षिणः आराजी नं. 891/4 एवं आराजी नं. 891/2 की भूमि। प्रार्थी बैंक उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावें।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति

हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 30.04.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं अखबार की प्रति पेश की गयी। उसके बावजुद भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी बंधक सम्पति का विवरण **(अ)** श्रीमती ज्योत्सना दधीच पत्नी श्री प्रीतम कुमार दधीच के नाम आवासीय मकान जो आराजी नं. 273, शांति कॉलोनी, कांकरोली, राजसमंद राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5034.96 वर्गफीट है। सीमाएं – पूर्वः प्रस्तावित रोड़ एवं दिनेश कुमार की भूमि, पश्चिमः संयुक्त स्वामित्व की भूमि कुआं, उत्तरः रोड़, दक्षिणः आराजी नं. 271 की भूमि। **(ब)** सुश्री अंजलि दधीच पुत्री श्री प्रीतम कुमार दधीच के नाम परिवर्तित प्लॉट जो खसरा नं. 891/3 एवं 891/5 जो गांव भावा, राजसमंद-भीलवाड़ा हाईवे, सोफिया पब्लिक स्कूल, तहसील एवं जिला राजसमंद, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 52094 वर्गफीट है। सीमाएँ – पूर्वः रोड़ 30 फीट पश्चिमः मौजूदा इमारत, उत्तरः आराजी नं. 891/6 एवं आराजी नं. 891/4 की भूमि, दक्षिणः आराजी नं. 891/4 एवं आराजी नं. 891/2 की भूमि है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त सम्पत्ति में संचालित सोफिया पब्लिक स्कूल भावा का भौतिक रूप से कब्जा शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के समाप्ति के पश्चात ही लिया जावें ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों के भविष्य पर दुष्प्रभाव न पडें। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)